उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2022 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 491

दीपक दानू .....पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी

श्री पी. सी. पेटशाली और श्री कौशल साह जगाती, -पुनरीक्षणकर्त्ता के अधिवक्ता।

श्री वी. एस. राठौर, ए. जी. ए., उत्तराखंड राज्य के लिए

सुश्री सोनाली शाह, अधिवक्ता श्री बी.एन. मोलाखी - आरोपी के अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी/रुद्रपुर, जिला-उधम सिंह नगर द्वारा 20.08.2022 को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 412 सन 2021, राज्य बनाम गोल्डी राजीव संतजी, में पारित आदेश चुनौती डी गई है । पुनरीक्षणकर्त्ता आदेश के उस भाग से व्यथित है, जिसके द्वारा अभियुक्त पर यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ("पॉक्सो अधिनियम") की धारा 9 के स्थान पर धारा 8 के तहत आरोप लगाया गया है और आदेश के उस भाग को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा पीडब्ल्यू1 और पीडब्ल्यू2 को अग्रेतर प्रतिपरीक्षा के लिए समन किया गया है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. विवाद को समझने के लिए आवश्यक तथ्य, संक्षेप में, निम्नलिखित हैं। एक आवासीय विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ ने पुलिस स्टेशन पुलभट्टा में 01.07.2015 को भा.दं.सं. की खंड 377,511 और पॉक्सो अधिनियम की खंड 9 (एफ)/10 से प्राथमिकी दर्ज कराई। इस प्राथमिकी के आधार पर जांच की गई और पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दर्ज की। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध आवेदन संख्या 31 सन 2021 में पारित आदेश दिनांकित 06.05.2021 द्वारा अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और आगे की जांच का आदेश दिया गया (इसे चार्जशीट में दर्ज किया गया है)। आगे की जांच की गई। इसके बाद, निजी प्रत्यर्थी ("आरोपी") के विरुद्ध आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एफ) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।संज्ञान लिया गया और यह मामले का आधार है।

4. मामले में प्रारंभिक तौर पर दिनांक 29.10.2021 को आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एफ)/6 के तहत आरोप तय किया गया था। दो गवाहों, PW1, पीड़ित संख्या 4 और PW2, पीड़ित संख्या 1-D की परीक्षा की गई । इसके बाद, अभियोजक द्वारा 06.06.2022 को एक आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया कि मामले में कई पीड़ित हैं, लेकिन आरोप में, पीड़ितों के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आरोप में संशोधन किया जाये। इस आवेदन को विवादित आदेश दिनांक 20.08.2022 द्वारा स्वीकार किया गया और 20.08.2022 को प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग आरोप तय किए गए थे। ये आरोप IPC की धारा 377 और POCSO एक्ट की धारा 6 और 8 के तहत हैं।

5. जब आरोप तय किए गए थे, तो अभियुक्तों की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि चूंकि आरोपों को फिर से तैयार किया गया है, आरोपी को PW1 और PW2 से आगे जिरह करने की अनुमति दी जाए। इस आवेदन को भी दिनांक 20.08.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार किया गया और PW1 और PW2 को आगे की जिरह के लिए बुलाया गया।

6. पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अभियुक्त आवासीय विद्यालय का प्रबंधक था। ऐसी परिस्थितियों में पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। लेकिन, यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने POCSO अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप तय करने में त्रुटि की है।

7. पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि आरोप, वास्तव में, बदले नहीं गए हैं, बल्कि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में उन्हें अलग कर दिया गया है। PW1, जो पीड़ित संख्या 4 है और PW2, पीड़ित संख्या 1-D, ने अपने खिलाफ किए गए कृत्य के बारे में बताया है। उनका क्रास किया गया है। इसलिए, अभियुक्तों के पास PW1 और PW2 की आगे जिरह करने का कोई अवसर नहीं है।

8. दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि PW1 और PW2 की आगे जिरह से इनकार किया जाता है, तो यह अभियुक्त के बचाव में गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रस्तुत किया कि पीड़ितों के संदर्भ में पहले आरोप सामूहिक रूप से तय किए गए थे। इसलिए, रक्षा की रणनीति अलग थी। लेकिन अब, यह तर्क दिया गया है कि पीड़ितों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं, इसलिए आगे की प्रतिपरीक्षा आवश्यक है। यह भी तर्क दिया गया है कि पहले अधिवक्ता अलग थे। अब यह महसूस किया गया है कि पीडब्ल्यू1 और पीडब्ल्यू2 की प्रतिपरीक्षा में कुछ और प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे। इसलिए, PW1 और PW2 की अधिक प्रतिपरीक्षा आवश्यक है। उनकी दलील के समर्थन में, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संहिता) की खंड 217 के उपबंधों का भी उल्लेख किया है और सोनिया बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2013 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 3303 (ओ एंड एम)) के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है।

9. वास्तव में, सोनिया (पूर्वोक्त) के मामले में, विधि का कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया गया है। उस मामले में, पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्चन्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि किसी साक्षी की पुनः परीक्षा से इंकार करते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि गवाहों की पुनः परीक्षा का प्रयोजन तंग करने या विलम्ब करने या न्यायालय के उद्देश्यों को विफल करने के अभिलेख है। इस तरह के आदेश को बरकरार नहीं रखा गया।

10. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि आरोपी आवासीय विद्यालय का प्रबंधक था। इसलिए,पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के बजाय पोक्सो अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोप तय करने का कोई अवसर नहीं है।

11. निस्संदेह, यदि आरोपों को संशोधित किया जाता है और अलग-अलग आरोप लगाए जाते हैं, तो एक अभियुक्त को उन गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार है, जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है। वास्तव में, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में बचाव के उचित अवसर का अधिकार शामिल है।संहिता की धारा 217 का संदर्भ दिया गया है। यह इस प्रकार हैः

> **"217.आरोप बदलने पर गवाहों को वापस बुलाना।**
>
> जब भी विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय द्वारा कोई आरोप बदला या जोड़ा जाता है, तो अभियोजक और अभियुक्त को अनुमति दी जाएगी-
>
> (क) किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के संदर्भ में की गई हो, वापस बुलाना या पुनः समन करना और उसकी परीक्षा करना, जब तक कि न्यायालय, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह न समझे कि,

यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त, तंग करने या विलम्ब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए ऐसे साक्षी को वापस बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है.

(बी) किसी और गवाह को भी बुलाने के लिए जिसे न्यायालय महत्वपूर्ण समझ सकता है।"

12. प्रत्येक मामले में, जहां आरोप में परिवर्तन किया जाता है या जोड़ा जाता है, यह अभियुक्त को पहले से जांच किए गए साक्षियों की अग्रेतर परीक्षा कराने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है। सामान्य नियम के अनुसार, यदि आरोप में परिवर्तन किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो अभियोजक और अभियुक्त को ऐसे परिवर्तन के संदर्भ में, किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की गई है, वापस बुलाने या पुनः परीक्षा करने की अनुमति दी जाती है। किंतु यह सामान्य नियम इस शर्त के अधीन है कि यदि न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह विचार रखता है कि अभियोजक या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, तंग करने या विलम्ब करने या न्यायालय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए ऐसे साक्षी को वापस बुलाने या पुनः परीक्षा करने की इच्छा रखता है तो ऐसी वापसी या पुनः परीक्षा से न्यायालय द्वारा इंकार किया जा सकता है।

13. अपनी आपत्तियों में, अभियुक्त ने यह भी कहा कि पुनरीक्षण अनुरक्षणीय नहीं है लेकिन तर्क के दौरान, पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनरीक्षण अनुरक्षणीय है क्योंकि, यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो यह न्याय की गम्भीर हत्या होगी। पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जैसा कि होन्नाइया टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1001 के मामले में निर्धारित किया गया है।निर्णय के पैरा 13 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"13. यदि बयान को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है, तो आपराधिक मुकदमे के दौरान न्याय की गम्भीर हत्या होगी क्योंकि यह प्राथमिकी के पंजीकरण का आधार बनता है। इन परिस्थितियों में ट्रायल जज के आदेश को केवल प्रक्रियात्मक या वादकालीन प्रकृति का नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अभियोजन के मूल पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता है।धारा 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जहां सार्वजनिक न्याय के हित में स्पष्ट अवैधता के सुधार या न्याय की घोर हत्या की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।एक अदालत दोषमुक्ति या सजा के अंतिम आदेश के खिलाफ अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है, या एक मध्यवर्ती आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती नहीं हो सकता है।अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य के फैसले में, इस अदालत ने सीआरपीसी की धारा 397 (2) में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द का अर्थ समझाया। इस न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति "अंतर्वर्ती आदेश" विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पार्टियों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों को तय या स्पर्श नहीं करते हैं।इसलिए, कोई भी आदेश जो पक्षकारों के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है, उसे अंतवर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है।दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति मुर्तजा फ़ज़ल अली ने कहा:

"6. [.....] हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 1973 की संहिता की धारा 397 (2) में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित अर्थ में किया गया है न कि किसी व्यापक या कलात्मक अर्थ में।यह केवल विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पार्टियों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों को तय या स्पर्श नहीं करते हैं।कोई ऐसा आदेश, जो अभियुक्त के अधिकार को सारतः प्रभावित करता है या पक्षकारों के कतिपय अधिकारों का विनिश्चय करता है, अंतवर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है जिसखंड कि उस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण को वर्जित किया जा सके, क्योंकि यह उसी उद्देश्य के विरुद्ध होगा जिसने 1973 की संहिता की धारा 397 में इस विशेष उपबंध को अंतःस्थापित करने के लिए आधार बनाया था।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, गवाहों को समन करने, मामलों को स्थगित करने, जमानत के लिए

आदेश पारित करने, रिपोर्ट मांगने और लंबित कार्यवाही की सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम, निःसंदेह अंतर्वर्ती आदेशों के समतुल्य हो सकते हैं, जिनके विरुद्ध 1973 की संहिता की धारा 397 (2) से कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे आदेश जो तात्कालिक मामले हैं और जो अभियुक्तों के अधिकारों या मुकदमे के किसी विशेष पहलू को प्रभावित या अधिनिर्णित करते हैं, उन्हें अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि वे उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हों। "

14. वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह भी देखा कि, **"सीआरपीसी की धारा 397 के साथ धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत एक उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र एक विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग पुनरीक्षण न्यायालय स्वयं कर सकता है ताकि आदेश विचारण न्यायालय या अवर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित या पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच की जा सके।चूंकि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से भी किया जा सकता है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने और उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है कि शक्ति का प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न हो गया है। "**

15. वास्तव में, तर्क के दौरान, अभियुक्त की ओर से, पुनरीक्षण की संधारणीयता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

16.आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमे का सामना कर रहा है। वर्तमान मुद्दे से निपटने के दौरान POCSO अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पोक्सो अधिनियम के अध्याय VIII के तहत विशेष अदालतों की प्रक्रिया और शक्तियाँ और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग प्रदान की गई है। यह गवाहों से पूछताछ के संबंध में विभिन्न प्रावधान करता है। पोक्सो अधिनियम की खंड 35 (5) में प्रावधान है कि विशेष अदालत यह सुनिश्चित करेंगी कि बच्चे को बार-बार अदालत में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जाए।

17. दिनांक 29.10.2021 को आरोपी पर आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप के मुताबिक, एक आवासीय विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते, आरोपी ने नाबालिग छात्रों को अपने छात्रावास के कमरे में बुलाया और अपराध किया। इन दोनों शीर्षों से तहत, पीड़ितों का उपयोग बहुवचन में किया गया है। इन दोनों आरोपों में, आरोपी को बताया गया है कि उसने यह कृत्य उस समय किया था जब वह एक आवासीय स्कूल का प्रबंधक था।

18. आरोप में संशोधन करके, यह किया जाता है कि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाया गया है। वास्तव में, यह आरोप में परिवर्तन नहीं है। जो सामूहिक रूप से आरोपी को बताया गया था, वह उसे अलग से बताया गया है।

19. पीडब्ल्यू1 पीड़ित नं.4 और पीडब्लू पीड़ित संख्या 1-D है। पीडब्लू1 के संबंध में, आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप हैं।

20.पीडब्ल्यू2, पीड़ित संख्या 1-डी की पहले ही जांच की जा चुकी है और क्रॉस-एग्जामिनेशन किया जा चुका है। उसने आरोपियों द्वारा उसके साथ किए गए कार्यों के बारे में बताया है। इन पहलुओं पर उनसे जिरह की गई है। इसलिए, केवल आरोप को पीड़ितों के अनुसार अलग कर देने से अभियुक्त को आगे जिरह का अधिकार नहीं मिल जाता है।वास्तव में, अगर ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगा।

21.जहां तक पीडब्लू1 की आगे की जिरह का संबंध है, आरोपों के अनुसार, जो बाद में बनाए गए थे, आरोप सं.7 उनके संबंध में है। यह यौन उत्पीड़न के संबंध में है। तथ्य यह है कि आरोपी पर पहले यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसे पहली बार 20.08.2022 को तैयार किया गया था।

22.पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 की तुलना में कम अपराध है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि सिर्फ इसलिए कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप जोड़ा गया है, अभियुक्त को आगे पीडब्लू से जिरह करने का अधिकार नहीं मिलता है। इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया होता अगर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 8 के तहत एक ही पीड़िता के रूप में आरोप तय किए गए होते।

23.अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्ल्यू1 गंभीर यौन हमले का शिकार है। जैसा कि कहा गया है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत पहले आरोप तय नहीं किए गए थे। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि पीडब्ल्यू1 की जांच और क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पी डब्लू १ ने यह भी कहा है कि उसकी उपस्थिति में आरोपी द्वारा एक अन्य बच्चे पर यौन उत्पीड़न का अपराध किया गया था। क्या केवल पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अपराध के संबंध में उससे पूछताछ की गई है या क्या पी डब्लू1 की भी एक गंभीर यौन हमले के शिकार के रूप में जांच की गई है? लेकिन जैसा कि कहा गया है, यह आरोप तय नहीं किया गया था।इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि निश्चित रूप से अभियुक्त को पी डब्लू 1 से अग्रेतर जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

24. जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोप तय करने का संबंध है, तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी एक आवासीय विद्यालय का प्रबंधक था। पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 गंभीर यौन हमले को परिभाषित करती है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (f) के अनुसार, यदि प्रबंधन या किसी शैक्षणिक संस्थान का कोई कर्मचारी, आदि उस संस्थान में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है, तो यह भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह अभियोजन पक्ष का मामला है। इसलिए, निश्चित रूप से, पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के बजाय पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 9 के तहत अभियुक्तों पर आरोप तय किए जाने चाहिए थे। तदनुसार, पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकृत किए जाने योग्य है।

25. पुनरीक्षण को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

26. आरोपी को अकेले पी डब्लू1 से जिरह करने का अवसर मिलेगा। उसे पीडब्ल्यू2 से अग्रेतर जिरह करने का अवसर नहीं मिलेगा।

27. अभियुक्तों पर पीड़ित संख्या 4 और पीड़ित नं.5 के संबंध में पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 सहपठित 10 के तहत आरोप लगाया जाएगा। निचली अदालत को 20.08.2022 को बनाया गया आरोप (हेड 7 और 8) को तदनुसार सही करने का निर्देश दिया जाता है

28. दिनांक 20.08.2022 के विवादित आदेश को ऊपर बताए अनुसार संशोधित किया गया है।

(रविन्द्र मैठाणी,जे.)

13.10.2022

Ravi Bisht